न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 487/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
उमाराम पुत्र स्व0 आईदानराम जाति राईका निवासी प्रेम सागर, (भूंगरा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– गोपाराम पुत्र स्व0 आईदानराम गोदपुत्र सुजाराम जाति राईका निवासी प्रेमसागर, (भूंगरा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2– ग्राम पंचायत भूंगरा जरिये सरपंच तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26–12–2014 जो उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा प्रकरण संख्या 5/2012 अनवान उमाराम बनाम ग्राम पंचायत भूंगरा वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहर सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री उम्मेद सिह बावरला अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भूंगरा हाल प्रेमसागर तहसील शेरगढ के खेत खसरा नंबरान 599 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 600 रकबा 0.03 बिस्वा, खसरा नंबर 601 रकबा 0.03 बिस्वा, खसरा नंबर 602 रकबा 0.04 बिस्वा, खसरा नंबर 603 रकबा 0.03 बिस्वा तथा खसरा नंबर 604 रकबा 274.04 बिस्वा कुल 282 बीघा भूमि के 1/4 हिस्से के सहखातेदार आईदानराम पुत्र हेमाराम, मनोरराम पुत्र भीयाराम थे । उक्त सहखातेदार आईदान पुत्र हेमाराम के फोत होने पर उनके स्थान पर फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 717 उमाराम, मोहनराम, ग्रगाराम, गोपाराम पुत्रान आईदानराम बाकी ,खाता बदस्तुर का भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भुंगरा द्वारा दिनांक 4–7–96 को स्वीकृत किया । जिसके विरूद्ध अपीलांट उमाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक

26–12–2014 के द्वारा प्रथम अपील को खारीज कर दिये जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार आईदानराम (फौत) के चार पुत्र क्रमशः उमाराम (अपीलांट), गंगाराम, गोपाराम (सुजाराम के गोद गया) तथा मोहनराम (फौत) थे । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त खातेदार आईदानराम के फौत होने पर स्व0 आईदान के हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे भरे गये नामांतरकरण संख्या 717 मे उसके अन्य 3 पुत्रो के साथ गोपाराम का भी नाम दर्ज कर दिया जबकि गोपाराम सुजाराम के गोद चला गया था, इसलिए उक्त नामांतरकरण विधिविरूद्ध होने से उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 गोपाराम जो कि सुजाराम के गोद चला गया था इसलिए उसे अपने कुदरती पिता के खातेदारी से अधिकार समाप्त हो चुके थे तथा गोद गृहिता के खातेदारी मे अधिकार सृजित हो गये थे इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696 विधिविरूद्ध भरा जाकर स्वीकृत किया गया था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम प्रेमसागर स्थित अन्य खसरा नंबरान की भूमि के सहखातेदार सुजाराम पि0 अणदा के फौत होने पर सुजाराम के हिस्से की खातेदारी का फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 715 रेस्पो0 गोपाराम गोद पुत्र सुजाराम की हैसियत से भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भुगरा द्वारा स्वीकृत किया था इसलिए दो जगह पर रेस्पो0 को लाभ दिया गया है, जो विधिसम्मत नही होने से नामांतरकरण संख्या 696 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही निरस्त करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलांधीन निर्णय दिनांक 26–12–2014 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696 दिनांक 4–7–1996 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696 जो वर्ष 1996 मे

विधिवत जांच कर विरासत का मृतक खातेदार आईदानराम के सभी पुत्रो के नाम स्वीकृत किया गया था तत्समय रेस्पो0 संख्या गोपाराम स्व0 सुजाराम के गोद नही गया था बल्कि रेस्पो0 गोपाराम को स्व0 खातेदार सुजाराम ने वर्ष 2004 को गोद लिया था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति के समय रेस्पो0 संख्या 1 गोपाराम के पक्ष मे कोई गोदनामा अस्तित्व मे ही नही था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696 जो मृतक खातेदार आईदान के फौत होने पर मृतक के अन्य पुत्रो के साथ गोपाराम को भी विधिक जायंदा पुत्र स्वीकृत करने मे कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रथम अपील पेश की थी उसमे 7 प्रत्यर्थीगण थे जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील मे केवल 2 को ही पक्षकार बनाया है इसलिए उक्त अपील प्रोपर पक्षकार के अभाव मे तथा अपील के कुसंयोजन के आधार पर भी निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पक्षकारो के बीच दावा भी विचाराधीन है, तो अधिकारो की घोषणा तो दावे के निर्णय से ही होनी है । म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है इसलिए अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696, रेस्पो0 संख्या 1 गोपाराम के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे का दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । इस द्वितीय अपील मे अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पो0 गोपाराम संख्या 1 जब सुजाराम के गोद चला गया था तो उसे अपने प्राकृतिक पिता आईदानराम के खातेदारी की भूमि मे से हक अधिकार समाप्त हो गया था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696 मे मृतक खातेदार आईदानराम के फौत होने पर उसके अन्य तीन पुत्रो के साथ रेस्पो0 गोपाराम का नाम दर्ज किया, जो गलत होने से उसे निरस्त करवाने का निवेदन किया ।

इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पो0 संख्या 1 गोपाराम के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे का दस्तावेज जो कि खातेदार सुजाराम ने अपने जीवनकाल मे रेस्पो0 संख्या 1 गोपाराम को गोद लेकर गोदनामा दिनांक 10–2–2004 को पंजीबद्ध करवाया जबकि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696 जो खातेदार आईदानराम

के फौत होने पर उनके उतराधिकारियो के नाम वर्ष 1996 को ही ग्राम पंचायत भूंगरा ने स्वीकृत किया था जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 गोपाराम का भी मृतक आईदानराम के अन्य पुत्रो के समान विरासत मे हक अधिकार होने से उसका भी नाम उक्त नामांतरकरण संख्या 696 मे दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया था तत्समय गोपाराम के सुजाराम के गोद पुत्र होने बाबत कोई दस्तावेज निष्पादित नही हुआ था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे पारित है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

वर्तमान मामलें मे अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे जिन पक्षकारो को संयोजित किया गया था उन सभी को इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत द्वितीय अपील संयोजित किया है इस आधार पर भी उक्त अपील कुसंयोजन के आधार पर चलने योग्य नही है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारो के बीच नियमित वाद भी पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है । ऐसे मे पक्षकारो के हक अधिकारो का बेहतर निर्धारण तो नियमित वाद के निर्णय से ही संभव है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–12–2014 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 696 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27–10–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर